## दिनांक 29 जून, 2011 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री पी.आई. सुवरथन, अध्यक्ष ने खाद्य प्राधिकरण की आठवीं बैठक में सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक–1** में है। श्री मनोज परीदा, श्री के.आर. राव, श्री एम.पी. सिंह, सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, श्री बिजोन मिश्रा, डा. एस. गिरिजा, श्री राजन गुप्ता, श्री कलिंग तायेंगब, डा. (श्रीमती) टी. ए. कादरभाई और श्री वी. सुब्रमण्यम को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई, जो बैठक में भाग नहीं ले सके थे।

### मद सं. 1: नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना

श्री अरूण पांडा, श्री अनिन्दो मजूमदार तथा श्री सिद्धार्थ सिंह ने, खाद्य प्राधिकरण के नए सदस्यों के रूप में, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 7(3) और भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 16 के अनुसरण में पद और गोपनीयता की शपथ ली तथा "रूचि की वार्षिक घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

### मद सं. 2: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बैठक के दौरान कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले बैठक में विचारित किए जाने वाली कार्यसूची मदों के संबंध में "रूचि की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

खाद्य प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों का संक्षिप्त कार्य विवरण एफ एस एस ए आई की वेबसाइट पर प्रकट करने के संदर्भ में, खाद्य प्राधिकरण ने सहमति प्रदान करते हुए कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैठकों का अंगीकृत संक्षिप्त कार्य विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों की कार्य योजना/मार्ग मानचित्र और समय सीमाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। वे हितधारक जो अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक पैनल की किसी विशिष्ट बैठक में भाग लेने के इच्छुक हैं, संबंधित वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं, जो बैठक की कार्यसूची को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय करने हेतु प्राधिकृत हैं।

### मद सं. 3: 22 मार्च, 2011 को आयोजित पिछली बैठक के संक्षिप्त कार्यविवरण की पुष्टि

प्राधिकण द्वारा 22 मार्च, 2011 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की सातवीं बैठक के संक्षिप्त कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

### मद सं. 4: सी ई ओ की रिपोर्ट–एफ एस एस ए आई के कार्य 2010–11

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान वितरित की गई सी ई ओ की रिपोर्ट को देखा, जिसमें मूल रूप से 2010–11 की अवधि में एफ एस एस ए आई की गतिविधियां आवृत्त की गई थीं। सी ई ओ की रिपोर्ट की एक प्रति **संलग्नक–2** पर दी गई है। सी ई ओ की रिपोर्ट के बिन्दु 8–11 पर विशेष ध्यान आमंत्रित किया गया, जिसमें स्वीकृत पदों की अयथेष्टता, धारा 90 के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों हेतु विकल्प, 2010–11 हेतु वार्षिक लेखा और वर्ष 2011–12 के दौरान एफ एस एस ए आई के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को विशेषालोकित किया गया था। यह प्रेक्षित किया गया कि सदस्यों को कार्यसूची के प्रपत्र पर्याप्त अग्रिम में वितरित किए जाने चाहिए ताकि उनका समुचित अध्ययन किया जा सके।

**मद सं. 5: वार्षिक लेखा 2010–11 और प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट**

प्राधिकरण ने वर्ष 2010–11 हेतु एफ एस एस ए आई के वार्षिक लेखा और वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया और ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया जो सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति तथा विसंगतियों एवं त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक थे।

**मद सं. 6: 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए एफ एस एस ए आई के प्रस्ताव**

निदेशक, एफ एस एस ए आई ने एफएसएस ऐक्ट के कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एफ एस एस ए आई के प्रस्तावों के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुति दी, जिसमें मोटे तौर पर खाद्य संरक्षा की आवश्यकता, पहले चुनौतियां, प्राथमिकता के क्षेत्र और वित्तीय प्रक्षेप सम्मिलित किए गए थे। प्राधिकरण ने इस पर विचार किया और एफ एस एस ए आई को इस विषय में निम्नलिखित प्रेक्षाओं/सुझावों के साथ उपयुक्त विचारित कदम उठाने हेतु अधिकृत कियाः

- प्रयोगशालाओं की यथेष्ट संख्या और विद्यमान प्रयोगशालाओं का समुन्नतन एक अनिवार्य अपेक्षा है। तथापि इन प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु सक्षम एवं प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराना चिन्ता का प्रमुख विषय है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- आईआईपीएच हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए एफ एस एस ए आई के वास्ते विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है। तथापि इन मॉड्यूल्स को कार्यान्वयन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए देश में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी। इस हेतु एक उपयुक्त प्रत्यायन प्रणाली होनी चाहिए।
- एफएसएस ऐक्ट के अनुसार प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन अनिवार्य है और इसलिए सरकारी प्रयोगशालाओं का समुन्नतन आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त कार्यान्वयन व्यवस्थाओं तथा उपयुक्त अभिकरणों को चिन्हित किए जाने की जरूरत होगी।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि खाद्य संरक्षा पर अभी तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है और एफएसएस ऐक्ट सही मायनों में लागू करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों में भारी वृद्धि आवश्यक होगी। तथापि, विद्यमान अभिकरणों की उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय प्रक्षेपों का निर्धारण सावधानीपूर्वक करने की जरूरत है, ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। निधियों की हिस्सेदारी में राज्यों की जवाबदेही स्पष्ट परिभाषित किए जाने की जरूरत है और विशिष्ट प्रदायगियों एवं परिणामों की परिभाषा उस परिदृश्य को ध्यान में रखकर करने की जरूरत है, जिसमें योजना आयोग ने केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को चलाए जाने के प्रति उत्सुकता नहीं दर्शाई है।
- राज्य खाद्य संरक्षा हेतु अपनी वार्षिक योजनाएं बना सकते हैं, जो जिलों और ग्रामों के लिए समान खाद्य संरक्षा योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए। एफ एस एस ए आई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, चुनौतियों एवं अपेक्षित कार्य की पहचान के लिए राज्यों के साथ विचार–विमर्श कर सकता है।
- सक्षम परियोजना प्रबंधन अभिकरणों की सहायता से विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी तथा वैकल्पिक तंत्रों पर विचार किया जा सकता है।
- खाद्य संरक्षा की व्यापक अनिवार्यता और आने वाले वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित कौशल हेतु पहुंच, विशेषकर उच्चतर स्तरों पर, अपेक्षित है। यह भर्ती की पारंपरिक विधियां अपनाकर करना संभव नहीं है। सुयोग्य और सक्षम व्यक्तियों को सीमित अवधि के लिए प्राधिकरण के साथ जोड़ने के लिए नवोन्मेषी प्रक्रियाओं पर विचार करने की

जरूरत होगी। यह नोट किया गया कि यूआईडीएआई में इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं तथा ऐसे कुशल व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने में सफलता अर्जित की गई है, जो सरकार के भीतर उपलब्ध नहीं हो सकती थीं।

- खाद्य संचालन, खाद्य संरक्षा प्रबंधन, प्रयोगशाला प्रबंधन, खाद्य नियंत्रण इत्यादि के क्षेत्रों में कौशल का भारी अभाव है। यह राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंश के तौर पर विकसित किया जा सकता है, जिसके अधीन बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में रोजगार की संभावना का पूर्ण दोहन की जरूरत है। यह सुझाव दिया गया कि एफ एस एस ए आई द्वारा विकसित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रत्यायित प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आगे प्रसार किए जाने की जरूरत है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती हैं तथा अधिक नवोन्मेषी प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, अपेक्षित कौशल उपलब्ध कराने तथा तेजी से बढ़ रहे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में रोजगार की क्षमता पैदा करने का कार्य कर सकती हैं।
- स्पष्ट निर्धारित विनियमों के अभाव में खाद्य वस्तुओं और विशेषकर पोषक आहारों के संबंध में गलत दावों के बारे में व्यापक रूप से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी वस्तुओं के बहुत थोड़े मामलों की पहचान और उपयुक्त कार्यवाही की गई है। एफ एस एस ए आई द्वारा लेबल और दावों हेतु विनियमों का प्रारूप तैयार किया जा चुका है, जिस पर खाद्य लेबल हेतु पैनल द्वारा विचार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाए जाने की जरूरत है। एफ एस एस ए आई द्वारा एक प्रकोष्ठ प्रारंभ किया गया है, जो राष्ट्रीय मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों और दावों के बारे में सूचना एकत्रित करेगा।
- सदस्यों ने महसूस किया कि खाद्य संरक्षा में दो प्रमुख हितधारकों, उपभोक्ताओं और उद्योग को सावधानी के साथ खाद्य प्राधिकरण के दायरे के भीतर लाए जाने की जरूरत है और इस प्रयोजन के लिए अंतरापृष्ठ व्यवस्थाओं को परखने की जरूरत है। उपभोक्ता और उद्योग दोनों को खाद्य संरक्षा कार्यक्रम अपनाने, सूचना का प्रसार करने और खाद्य संरक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कानून का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- एफ एस एस ए आई को अब खाद्य संरक्षा संदेशों तथा हितधारकों हेतु अनुपालन अपेक्षाओं के प्रसार के अधिक प्रभावोत्पादक तथा नवोन्मेषी मॉड्यूल्स पर विचार करना चाहिए। यह केवल विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। चूंकि खाद्य संरक्षा संबंधी अधिकांश कार्यवाही स्थानीय स्तर पर प्रारंभ की जानी है, अतः इसका उद्देश्य खाद्य संरक्षा को ग्राम और उपनगर स्तर पर ध्यान का केन्द्रबिन्दु बनाने, कार्य बिन्दुओं की पहचान करने तथा निर्णय करने हेतु प्रोत्साहन पर होना चाहिए। यह बताया गया कि एफ एस एस ए आई द्वारा खाद्य संरक्षा संबंधी संचार के लिए एक उपयुक्त माडल विकसित करने हेतु एक प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया।
- कई राज्य, विशेषकर छोटे राज्य, खाद्य संरक्षा संबंधी मुद्दों के संबोधन हेतु अपेक्षित कौशल एवं तकनीकी सलाह प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एफ एस एस ए आई को इस संबंध में विचार करने की जरूरत है कि तकनीकी सलाह और कौशल किस तरह सुलभ बनाए जा सकते हैं।
- यद्यपि 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रारूप प्रस्तावों पर विचार करते समय, उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र की पहचान करने पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है, ताकि प्रस्तावित उच्चतर

आबंटन का उपयोग वांछित परिणाम हेतु किया जा सके। यह नोट किया गया कि उच्चतर आबंटन मात्र से वांछित परिणाम मिलना जरूरी नहीं है, जबतक कि कार्यान्वयन मुद्दों को हल नहीं किया जाता है। यह प्रयोगशालाओं के समुन्नतन, खाद्य संरक्षा में क्षमता निर्माण, खाद्य संचालकों और नियंत्रक स्टाफ इत्यादि के प्रशिक्षण संबंधी क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जबतक कि सभी हितधारकों को इस गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह सीमित प्रभाव वाला सरकारी कार्यक्रम बन कर रह जाएगा। एफ एस एस ए आई को इन समस्याओं के लिए अधिक प्रभावी और नवोन्मेषी समाधान खोजने की जरूरत है।

- यह जानकारी दी गई कि एफ एस एस ए आई इन पहलों को उपयुक्त रूप से प्रत्यायित तंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। यह खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्षेत्र में विशेष रूप से आवश्यक है।
- यह बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत खाद्य संरक्षा को कार्यक्रम के दायरे में प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान पहले से मौजूद है। एफ एस एस ए आई ऐसे एकीकरण को साकार करने के लिए मुख्य सचिवों तथा मंत्रालय को लिख चुका है, ताकि खाद्य संरक्षा कार्यक्रमों का एकीकरण राज्य और जिले एनआरएचएम में एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रभावी रूप से कर सकें। इसके परिणामस्वरूप निधियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तोलित किया जा सकेगा। कुछ राज्य एनआरएचएम निधियों द्वारा खाद्य संरक्षा गतिविधियां पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं।
- यह सुझाव दिया गया कि खाद्य संरक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। यह बताया गया कि एन सी ई आर टी ने खाद्य संरक्षा को 10वीं कक्षा तक की पाठ्यचर्या के अंश के रूप में शामिल कर लिया है तथा इग्नू गृहणियों के लिए खाद्य संरक्षा पर एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एक सुझाव था कि गृहणियों के लिए इग्नू पाठ्यक्रम को गृहणियों के लिए रोजगार सृजन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार, खाद्य संचालकों हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम धीरे धीरे अनिवार्य बनाया जा सकता है।

**मद सं. 7: सचेतक स्कीम पर प्रस्तुति**

निदेशक, एफ एस एस ए आई द्वारा प्रारूप सचेतक स्कीम पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई। चर्चा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे सामने आए।

- सचेतक कार्यक्रम के संबंध में, यह नोट किया गया कि ड्रग सेक्टर में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, परंतु उसके परिणाम संतोषप्रद नहीं रहे हैं। इस कार्यक्रम के अधीन प्राप्त की गई अधिकांश सूचनाओं का आशय अपने प्रतिस्पर्धियों को उत्पीड़ित करना था। अतएव जबतक कि ऐसी सूचनाओं के सत्यापन हेतु कोई अभेद्य तंत्र तैयार नहीं होता तब तक नियंत्रक स्टाफ और खाद्य व्यवसाय प्रचालकों के उत्पीडन का अनाशयी प्रभाव बढ़ने की शंका बनी रहेगी।
- चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य संरक्षा मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, एफबीओ'ज पर खाद्य संरक्षा प्रबंधन पद्धतियों के पालन का दबाव डालना और खाद्य संरक्षा सुनिश्चयन को उनके सामान्य कर्तव्यों का अंग बनाना है, अतः अभियोजन मात्र के बजाय खाद्य नमूनों के परीक्षणों तथा परिणामों के प्रसार से बड़ी सीमा तक जागरूकता वृद्धि की संभावना है। इसलिए, खाद्य परीक्षण को अधिक सरल और स्वीकार्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए, जिसके अधीन खाद्य

संरक्षा में रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति नमूना लेने और उनका परीक्षण कराने की स्थिति में होना चाहिए। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम में भी नमूना नकारात्मक पाए जाने की स्थिति में परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु, मानकीकृत परीक्षण आचार निर्धारित किया जा सकता है जिसके तहत संस्थाएं और व्यक्ति खाद्य परीक्षण कर सकें और उनके परिणामों को अभियोजन की अनिवार्यता के बिना भी प्रसारित कर सकें। जबकभी किसी सूचना में अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित हो, नियंत्रक व्यवस्था को कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार नागरिक खाद्य वैज्ञानिक तैयार किए जा सकते हैं।

- यह स्वीकार किया गया कि स्कीम के वर्तमान प्रारूप पर हितधारकों के साथ एक विशेष कार्यशाला में चर्चा कर स्कीम को सरकार के पास भेजने हेतु अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ एफ एस एस ए आई को अधिक व्यापक स्तर पर खाद्य परीक्षण को लोकप्रिय बनाने और उसके संस्थानीकरण के लिए और उसके परिणामों का प्रसार आम जनता की जानकारी के लिए प्रसारित करने पर विचार करना चाहिए। यह नोट किया गया कि खाद्य संरक्षा केन्द्रों और उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए स्कीम के तहत खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों द्वारा ऐसे परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रस्ताव पहले से मौजूद है।
- सचेतकों से प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना की जांच के लिए हर राज्य में एक समर्पित प्रकोष्ठ की जरूरत होगी तथा दुराशयी सचेतकों को दंडित किए जाने की जरूरत होगी।
- स्कीम अत्यंत सावधानी के साथ तैयार की जाने की जरूरत है, जिसमें उपयुक्त संतुलन होना चाहिए तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श की जरूरत होगी।
- सचेतक स्कीम का लक्ष्य खाद्य संरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है और यह लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल सचेतकों पर निर्भर रहने के अलावा और अनेक नवोन्मेषी एवं वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं।

यह स्वीकार किया गया कि विचारों को सुस्पष्ट करने के लिए प्रारूप स्कीम वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए और साथ ही क्षेत्र में विशेषज्ञता धारक फोकस समूह गठित किया जाए जो इस विषय में चर्चा करे तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य और कार्यमूलक सचेतक स्कीम तैयार करे।

**मद सं. 8: 2011–12 के लिए परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी)**

खाद्य प्राधिकरण ने वर्ष 2011–12 के लिए एफ एस एस ए आई के परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी) ध्यानपूर्वक देखा और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

- एफ एस एस ए आई में सक्षम प्रतिभा के समावेशन/भर्ती के लिए नियुक्ति के पारंपरिक तरीके काम नहीं करेंगे तथा चयन के लिए नए तरीकों पर विचार की जरूरत है। एफ एस एस ए आई इस विषय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेज सकता है।
- एफ एस एस ए आई की पहली प्राथमिकता खाद्य संरक्षा के बारे में संवाद और जागरूकता होनी चाहिए तथा संवाद के नए तरीके खोजे जाने की जरूरत है। शहरी तथा ग्रामीण स्तर पर खाद्य संरक्षा के लिए रूचि पैदा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने की जरूरत है।
- यह सुझाव दिया गया कि विनियमावली तैयार करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह चार्ट विकसित किए जाने की जरूरत है ताकि हितधारकों की सही समय पर प्रतिभागिता और कोई नया विनियम तैयार करने के दौरान अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

- परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी) और उसमें निर्धारित उद्देश्यों के दृष्टिगत यह महसूस किया गया कि एफ एस एस ए आई के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पदों के विरूद्ध तकनीकी और प्रबंधकीय दोनों प्रकार के स्टाफ की भर्ती प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है। जबतक कि एफ एस एस ए आई के भीतर वैज्ञानिक कौशल का स्तर उस उद्योग के समान नहीं होता है, जिसे यह नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तबतक नियंत्रण का परिणाम संतोषप्रद होने की संभावना नहीं है। मौजूदा स्टाफ को इस प्रस्तावित संरचना में उनके एकीकरण के लिए विकल्प प्रदान किए जाने की जरूरत है और इस प्रयोजन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चूंकि एफ एस एस ए आई को इसकी विस्तारित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत है, अतः सरकार के विचारार्थ उपयुक्त प्रस्ताव तैयार और अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- अधिनियम के अधीन नियमों तथा विनियमों की अधिसूचना की स्थिति की समीक्षा की गई। यह सूचित किया गया कि नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और 5 अगस्त, 2011 से लागू होने की आशा की जाती है। विनियमावली भी सरकार के विचाराधीन है और यह प्रस्तावित है कि एफ एस एस ए आई अगस्त माह तक नए नियमों एवं की सूची प्रस्तुत करने विनियमों तथा पुराने खाद्य संबंधी आदेश रद्द करने की स्थिति में होना चाहिए। यह आवश्यक है कि एफ एस एस ए आई द्वारा आवश्यक सहायक उपाय किए जाएं, जैसाकि आरएफडी में निर्देशित है, ताकि कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- यह नोट किया गया कि नियमों एवं विनियमों की अधिसूचना तथा प्राधिकरण के लिए मार्ग मानचित्र विकास के साथ एफ एस एस ए आई के शासनादेश का प्रथम चरण पूर्णता के निकट है। अधिनियम के अधीन कल्पित विभिन्न निकायों का गठन किया जा चुका है। अब एफ एस एस ए आई के लिए अपना फोकस आरएफडी में चिन्हित गतिविधियों तथा लक्ष्यों पर स्थानांतरित करने का समय है, जिसके लिए कार्यान्वयन विवरण, अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल के अधिग्रहण तथा हितधारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने पर अधिक ध्यान देना होगा। यह नोट किया गया कि आरएफडी में निदर्शितानुसार आगामी वर्षों के लिए मार्ग मानचित्र अब तैयार है।
- यह देखा गया कि खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास की बढ़ती रफ्तार के साथ, एफ एस एस ए आई को इस विकास के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि यह बाजार में नए उत्पादों तथा प्रक्रमों को कारगर ढंग से नियंत्रित कर सके। इस प्रयोजन हेतु, अपेक्षित कौशल और वैज्ञानिक महारत प्राप्त की जानी अपेक्षित है। एफ एस एस ए आई को ऐसे मुद्दों के संबोधन हेतु अंतः–गृह क्षमता निर्माण की जरूरत है।
- वैज्ञानिक पैनलों तथा समिति के लिए कार्यसूची पहले ही विकसित की जा चुकी है। यह प्राधिकरण के पोर्टल पर प्रकाशित की जा सकती है।
- पोषक तथा अनुपूरक खाद्य पदार्थों के संबंध में, यह नोट किया गया कि विनिर्माताओं द्वारा मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए उत्पादों को अनुपूरकों में बदलने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि खाद्य वस्तुओं के मूल्य खाद्य प्राधिकरण के दायरे में नहीं हैं, अतः एफ एस एस ए आई द्वारा भेषजों तथा खाद्य पदार्थों को चिन्हित और उनमें उपयुक्त रूप से भेद करने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्यन प्राधिकरण के साथ कार्य किया जाना प्रस्तावित है, ताकि दोनों कानूनों के उद्देश्य हासिल किए जा सकें। यह नोट किया गया कि इस प्रयोजन हेतु, नवीनतम वैज्ञानिक विकास के आलोक में चिकित्सा खुराकों के लिए वर्तमान मानदंड संशोधित करने की जरूरत

नहीं है। एफ एस एस ए आई द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त अभिकरणों के साथ कार्य करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार का सहयोग हर्बल उत्पादों के संबंध में अपेक्षित है, ताकि उन्हें पोषक तथा अनुपूरक आहारों के लिए प्रस्तावित विनयमों के अधीन कारगर ढंग से शामिल किया जा सके।

**धन्यवाद ज्ञापनः** अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।

**संलग्नक–।**

दिनांक 29 जून, 2011 को 11.00 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की आठवीं बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे।

**खाद्य प्राधिकरण के सदस्यः**

1. श्री पी.आई. सुवरथन, अध्यक्ष
2. श्री वी.एन. गौड़, सदस्य सचिव
3. श्री अरूण पांडा
4. श्री अनिन्दो मजूमदार
5. श्री सिद्धार्थ सिंह
6. डा. जी. नारायणराजू
7. डा. (श्रीमती) पी. सुचरिता मूर्ति
8. सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवोधर
9. सुश्री इंद्राणी कर
10. श्री शिव नारायण साहू
11. डा. स्वपन कुमार पॉल

**अनुलग्नक–2**

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफ एस एस ए आई की वर्ष 2010–11 हेतु रिपोर्ट

पीएफए, एफपीओ, एमएमपीओ तथा एमएफपीओ की संरचनाओं के विलय के उपरान्त, वर्ष 2010–11 व्यावहारिक रूप से, खाद्य प्राधिकरण के कार्य का द्वितीय वर्ष था। खाद्य प्राधिकरण एफएसएस अधिनियम, 2006 को कार्यशील बनाने की दिशा में अधिक फोकसित, दृढ़प्रतिज्ञ तथा संसक्तिशील ढंग से आगे बढ़ा। प्राधिकरण और सरकार के अनुमोदन के साथ प्रारूप नियम तथा विनियम अधिसूचित किए गए और हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इन्हें अंतिम रूप दिया गया। उपरोक्त नियम दिनांक 5 मई, 2011 को अधिसूचित किए जा चुके हैं तथा विनियम कुछ ही दिनों के भीतर अधिसूचित किए जाएंगे। ये नियम और एतद्द्वारा अधिनियम अधिसूचना की तिथि से 03 माह के पश्चात अर्थात 5 अगस्त, 2011 से लागू हो जाएगा। सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को अधिनियम के आरंभन हेतु तैयारी के संबंध में पुनः स्मरण करवाया जा रहा है।

2. क्षमता निर्माण पर जोर जारी रखते हुए, पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा आयुक्तों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों तथा खाद्य संचालकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य भी आईआईपीएच, हैदराबाद को सौंपा गया। कार्य में अच्छी प्रगति है और जुलाई, 2011 तक पूर्ण होने की आशा है। देश में लोक विश्लेषकों के अभाव को देखते हुए, लोक विश्लेषकों की परीक्षा कम अंतरालों पर संचालित करने का निर्णय किया गया। पहली परीक्षा संचालित की जा चुकी है तथा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। दूसरी परीक्षा सितम्बर, 2011 में आयोजित की जाएगी।

3. प्राधिकरण के अधिकारी राज्यों की तैयारियों का आकलन करने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क में थे। इसके फलस्वरूप, राज्यों में इस अधिनियम के बारे में उल्लेखनीय जागरूकता है और उनमें से अधिकांश खाद्य संरक्षा आयुक्तों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर चुके थे तथा शेष सांविधिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए नियमों की अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन स्तर तक समुन्नयन एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति, वित्त, तकनीकी जन शक्ति और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। एफ एस एस ए आई द्वारा क्यूसीआई के माध्यम से संचालित अंतराल विश्लेषण का परिणाम संबंधित राज्यों के साथ, प्रत्यायन स्तर तक पहुंचने हेतु आवश्यक उपाय करने के अनुरोध के साथ, साझा किया गया है।

4. प्राधिकरण ने सर्वप्रथम बार वर्ष 2010–11 के लिए फोकसित और समयबद्ध कार्यसूची के साथ परिणाम संरचना प्रलेख तैयार किया तथा सभी मोर्चों पर प्रगति शानदार रही है। खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली, भारत एचएसीसीपी, लेबलिंग तथा दावे, उत्सव खाद्य, खाद्य प्रत्याह्वान, जल गुणवत्ता मानदंड, टीएफए मानदंड, जीएम लेबलिंग इत्यादि पर प्रारूप दस्तावेज तैयार किए गए हैं। सरकार ने पीएफए ऐक्ट के तहत केंद्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कुछ अधिसूचनाएं भी अनुमोदित की हैं। अनुसंधान एवं विकास हेतु स्कीमों के विकास और कार्यान्वयन तथा खाद्य संरक्षा केन्द्रों और उत्कृष्टता केन्द्रों के प्रतिष्ठापन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्तियां भी आमंत्रित की गई थीं।

5. एफएसएस अधिनियम के प्रारंभन के लिए तिथि की पुष्टि के साथ, एफ एस एस ए आई द्वारा सर्वप्रथम बार ब्राण्ड निर्माण तथा जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के मोर्चे पर गतिविधियां आरंभ की गईं। इसकी शुरूआत एफएम चैनलों पर जिंगल्स के प्रसारण के साथ की गई। प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र भी शामिल हैं। खाद्य संरक्षा के विषय पर कल्याणी कार्यक्रम को समर्पित कड़ियों के लिए तथा एक नए ब्राण्ड नाम के तहत कड़ियों की समानांतर श्रृंखला तैयार करने के लिए भी दूरदर्शन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफ एस एस ए आई की संचार जरूरतों की सम्पूर्ण श्रृंखला के लिए एक शीर्ष संचार अभिकरण को अनुबंधित किया जाना भी प्रस्तावित है।

6. मानकों का विकास सभी हितधारकों की चौकसी के अधीन प्राधिकरण की मुख्य गतिविधि है। वर्ष के दौरान, सभी सीसीएफएस अनुमोदित निर्णयों को अंतिम अधिसूचना के लिए अथवा प्रारूप अधिसूचना के लिए अंतिम रूप दिया गया। वर्तमान में पीड़कनाशी उप समिति द्वारा अनुमोदित केवल तीन अधिसूचनाएं हैं, जो अनुमोदन के सरकार के विचाराधीन हैं। प्राधिकरण के गठन के बाद प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। पांच प्रस्तावों के संबंध में कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा इन पर अगले दो या तीन माह में संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा विचार किया जाएगा। समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है।

7. सरकार ने अधिनियम की धारा 22 में जीएम फूड के संबंध में प्रावधान को छोड़कर अधिनियम की शेष 57 धाराएं दिनांक 29 जुलाई, 2010 को अधिसूचित कर दी हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी जीवित जीएम जीव तथा उनसे जीएम सहित या उसके बिना तैयार किया गया खाद्य, प्रस्तावित जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण के दायरे में होगा, जिसमें जीएम संशोधन की सीमा तक जोखिम आकलन सम्मिलित है। तथापि जीएम लेबल कार्य एफ एस एस ए आई के अधीन बना रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में जीएम फूड के लेबल कार्य के विषय में विनियमों के सूत्रबद्ध किए जाने हेतु एक कार्यक्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रारूप को दिसम्बर, 2011 तक अंतिम रूप दिए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले वैज्ञानिक समिति द्वारा इस पर जुलाई, 2011 में विचार किया जाएगा।

8. सरकार ने 531 पदों की प्रक्षेपित आवश्यकता के विरूद्ध प्राधिकरण के लिए 355 पदों हेतु अनुमोदन की सूचना दी है। विश्लेषण के उपरान्त यह पाया गया है कि

i. विद्यमान तकनीकी जनशक्ति को समायोजित करने के बाद, यदि वे सभी अवशोषण का विकल्प चुनते हैं, नई सीधी भर्ती के लिए अधिक तकनीकी पद बाकी नहीं हैं।

ii. ऐसे कई पद समाप्त कर दिए गए हैं जिन पर कार्मिक कार्यरत हैं। मंत्रालय द्वारा स्वीकृति में अनुबद्ध किया गया है कि ये पद समग्र सीमा का पालन करने की शर्त के तहत जारी रखे जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिकों अथवा अन्य वरिष्ठ पदों सहित उच्चतर स्तर के पद भी नहीं भरे जा सकेंगे क्योंकि ये प्रतिबंधित सीमा से अधिक हो जाएंगे।

iii. कोडेक्स, प्रतिष्ठापन, जोखिम आकलन, उत्पाद अनुमोदन, आयात इत्यादि से संबंधित कार्य करने के लिए जनशक्ति का गहन अभाव है। अतएव, विद्यमान जनशक्ति के संवर्धन हेतु प्रस्ताव लाए जाने की जरूरत है।

iv. विद्यमान स्वीकृति में, तकनीकी अधिकारी के स्तर से नीचे किसी स्टाफ की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। किसी संगठन को 100 प्रतिशत बाह्यस्रोतित स्टाफ के बल पर चलाना न केवल असंभव है, अपितु सांतत्य, सांगठनिक स्मृति, डेटा गोपनीयता तथा स्टाफ के प्रेरण के दीर्घकालीन हित की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय भी नहीं है।

9. जहां तक सेवा नियमों का संबंध है, सरकार ने 9 नियमों में से 6 नियम अनुमोदित किए हैं तथा 7वां नियम शीघ्र ही अनुमोदित किए जाने की आशा है। यह देखते हुए कि धारा 90 के अधीन प्राधिकरण में स्थानांतरित स्टाफ लगभग 2 1/2 वर्ष से "सम प्रतिनियुक्ति" पर चल रहा है, उनको प्राधिकरण में अवशोषण का अवसर प्रदान करने का उपयुक्त समय है, जिससे उनके भविष्य के बारे में अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। यद्यपि स्वास्थ्य लाभों तथा टीए/डीए से संबंधित दो नियम अभी अनुमोदित किए जाने शेष हैं, कर्मचारियों को अनुमोदित नियमों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना होगा जिनमें जीपीएफ और आवास जैसे महत्वपूर्ण नियम सम्मिलित हैं। सभी पदों हेतु भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही अनुमोदन के लिए मंत्रालय भेजा जाएगा। सीएफएल, कोलकाता के लिए एक नए निदेशक का चयन कर लिया गया है तथा आदेश जारी किया जा रहा है। एफआरएसएल के निदेशक के रिक्त पद हेतु नियुक्ति न्यायालय वाद के कारण लम्बित है। न्यायालय के निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ की जाएगी।

10. एफ एस एस ए आई का वार्षिक लेखा तैयार किया जा चुका है तथा प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। एफ एस एस ए आई को 2010–11 में सरकार से रू. 32.37 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। हमारे पास पिछले वर्ष की रू. 24.74 करोड़ की (रू. 21 करोड़ अनुदान +रू. 3.74 करोड़ अग्रेषित) उपलब्ध निधियों में से रू. 5.63 करोड़ की अग्रेषित शेष राशि मौजूद है। इस वर्ष कुल व्यय रू. 36.64 करोड़ था जो 2010–11 में रू. 19.10 करोड़ के कुल व्यय से लगभग दोगुना है। वर्ष के दौरान कुल रू. 54.19 लाख लाइसेन्स शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए जबकि पिछले वर्ष यह राशि रू. 40.32 लाख थी।

11. प्राधिकरण के सामने वर्ष 2011–12 की अवधि में प्रमुख चुनौतियां हैं:–

क) पीएफए से एफएसएस ऐक्ट हेतु अंतरण का संचालन
ख) हितधारकों के सभी प्रश्नों का हेल्पलाइन, वेबसाइट, एफएक्यू तथा मुद्रित दिशानिर्देशों इत्यादि द्वारा समाधान
ग) देश के 628 जिलों से पदनामित अधिकारियों, न्यायनिर्णय अधिकारियों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
घ) यथासंभव संख्या में प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन मानकों के अनुसार समुन्नत करने हेतु पहल
ङ) विद्यमान मानकों की समीक्षा तथा नए मानक तैयार करने के लिए वैज्ञानिक समिति और पैनलों की कार्यप्रणाली सुचारू बनाना
च) खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली को पंचायतों के स्तर तक कार्यशील बनाना
छ) निगरानी हेतु संरचना को अंतिम रूप देना
ज) जनशक्ति मांग की पूर्ति, एफएसएमएस तथा अधिनियम के अधीन अन्य गतिविधियों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में पाठ्यक्रम विकसित करना

झ) नए कानूनों, विनियमों तथा खाद्य संरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक आईईसी कार्यक्रम प्रारंभ करना

ञ) कार्यवाही योग्य संसूचना तथा "सचेतकों" के लिए पुरस्कार स्कीम प्रारंभ करना

ट) आयातित खाद्य विनियम तैयार करना तथा अंतिम रूप देना और सभी महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर लागू करना

ठ) कुछ महत्वपूर्ण विनियमों को अंतिम रूप देना जैसेकि लेबल और दावे, उत्सव खाद्य तथा अनुपोषक आहार, जीएम लेबल कार्य इत्यादि।

एफ एस एस ए आई इन चुनौतियों से निपटने हेतु प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।